VIDHAN SABHA QUESTION
IMMEDIATE/OUT TODAY

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(POLICY BRANCH)

No. F.2(23)DLA/BS/P&C/F&S/2018 / 246 Dated: 24.3.18

To

The Dy. Secretary (Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-54

Sub: **Delhi Legislate Assembly Starred Question No. 103 asked by Shri Vijender Gupta, MLA due for answer on 26.03.2018.**

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

Encl: As above

(R.K. SAXENA)
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

No. F.2(23)/DLA/BS/P&C/F&S/2018 / 247 Dated: 24.3.18

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Unstarred question of distribution of the House.

(R.K. SAXENA)
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
के. ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली,

तारांकित प्रश्न संख्याः—103
दिनॉक :—26/03/2018
प्रश्नकर्त्ता का नाम :—श्री विजेन्द्र गुप्ता
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः—

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, योजना विभाग एवं विधि विभाग ने घर—द्वार पर राशन की सप्लाई की योजना पर आपत्ति उठाई है;	घर द्वार पर राशन की सप्लाई की विभाग की योजना पर विधि, वित्त, योजना, आई.टी. एवं फूड सेफ्टी विभाग को टिप्पणी के लिए भेजे गए थे । उन विभागों की टिप्पणियों को केबिनेट नोट में सन्निहित करने के उपरान्त केबिनेट के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया जिसे केबिनेट द्वारा आदेश संख्या—2561 दिनांक 06.03.2018 द्वारा निर्णय लिया गया है अतः केबिनेट ने सभी प्रक्षों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् इस योजना को स्वीकृति दी है ।
(ख) इन आपत्तियों का एवं जिस आधार पर ये आपत्तियां हटाई गई, उनका विवरण क्या है;	
(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन विभागों की आपत्तियों के बावजूद इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय केबिनेट मीटिंग में लिया गया;	
(घ)क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन विभागों की आपत्तियों को हटाकर केबिनेट मीटिंग में इस प्रकार क बगा निर्णय ले सकती है; और	
(च) क्या यह निर्णय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत नहीं है ?	

Asstt. Commissioner
Department of Food Supplies & Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002